

243

पत्रांक-2बं०/गै०यो०(जल पर्षद)-16-01/2014 244 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।

पटना, दिनांक-09/03/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹3900.00 लाख (उन्चालीस करोड़ रु०) मात्र में से द्वितीय किस्त के रूप में ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹3900.00 लाख (उन्चालीस करोड़ रु०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की स्वीकृति एवं राशि का आवंटन विभागीय राज्यादेश सं०- 38, दिनांक- 01.08.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 39, दिनांक- 01.08.2016 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद को दिया गया। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक- 402, दिनांक- 20.02.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किस्त की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं विभागीय राज्यादेश सं०-243 दिनांक-09/3/17 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹3900.00 लाख (उन्चालीस करोड़ रु०) मात्र में से द्वितीय किस्त के रूप में ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

क्र०	संस्था का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि	प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत राशि	(राशि लाख में) द्वितीय किस्त के रूप में आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बिहार	N 2215011010007	31 04	900.00	450.00	450.00
2	राज्य जल पर्षद		31 06	3060.00	1500.00	1500.00
कुल योग				3900.00	1950.00	1950.00

242

द्वितीय किस्त के रूप में कुल आवंटित राशि ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र।

3. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 7 में आवंटित कुल ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल परिषद होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार कोषागार संहिता - 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। चूँकि यह अनुदान है; इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 270 के आलोक में यथा T.C. फॉर्म संख्या- 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि (2) दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 7 में आवंटित कुल ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, उप शीर्ष-01 - जलापूर्ति, लघु शीर्ष-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0007-बिहार राज्य जल परिषद विपत्र कोड N 2215011010007 विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान-वेतन से ₹450.00 लाख तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा से ₹1500.00 लाख अर्थात् कुल ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र का व्यय होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. राशि के व्यय के प्रस्ताव पर गैर योजना व्यय समिति की अनुशंसा दिनांक- 05.05.2016 की बैठक में प्राप्त है तथा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 25.05.2016 के मद संख्या- 07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

241

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09.3.17
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/गै०यो०(जल पर्षद)-16-01/2014 244/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/03/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.3.17
सरकार के विशेष सचिव।

R 2/17

243

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-09/03/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹3900.00 लाख (उन्चालीस करोड़ रु०) मात्र में से द्वितीय किस्त के रूप में ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹3900.00 लाख (उन्चालीस करोड़ रु०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की स्वीकृति एवं राशि का आवंटन विभागीय राज्यादेश सं०- 38, दिनांक- 01.08.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 39, दिनांक- 01.08.2016 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद को दिया गया। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक- 402, दिनांक- 20.02.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किस्त की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत ₹3900.00 लाख (उन्चालीस करोड़ रु०) मात्र में से द्वितीय किस्त के रूप में ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र०	संस्था का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि	प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत राशि	(राशि लाख में) द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बिहार राज्य जल पर्षद	N	31 04	900.00	450.00	450.00
2		2215011010007	31 06	3000.00	1500.00	1500.00
कुल योग				3900.00	1950.00	1950.00

239

द्वितीय किस्त के रूप में कुल स्वीकृत राशि ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 7 में स्वीकृत कुल ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार कोषागार संहिता - 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 270 के आलोक में यथा T.C. फॉर्म संख्या- 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि (2) दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
5. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 7 में स्वीकृत कुल ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, उप शीर्ष-01 - जलापूर्ति, लघु शीर्ष-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0007-बिहार राज्य जल परिषद विपत्र कोड N 2215011010007 विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान-वेतन से ₹450.00 लाख तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा से ₹1500.00 लाख अर्थात् कुल ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि ₹1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र का व्यय होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. राशि के व्यय के प्रस्ताव पर गैर योजना व्यय समिति की अनुशंसा दिनांक- 05.05.2016 की बैठक में प्राप्त है तथा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 25.05.2016 के मद संख्या- 07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब/गै०यो०(जल पर्षद)-16-01/2014 के पृष्ठ सं०-91...../टि० पर दिनांक-2-3-17 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-92...../टि० पर दिनांक-8-3-17 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

CF 9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/गै०यो०(जल पर्षद)-16-01/2014 **243** / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-~~07~~ 03/17

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

CF 9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।